

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2016

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. चन्द्राराम पुत्र श्री रामूराम 2. ढलाराम पुत्र श्री रामूराम 3. ओमाराम पुत्र श्री रामूराम जातियान मेघवाल निवासीगण-तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला-जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2016 जो तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2015 अनवान सरकार बनाम चन्द्राराम में पारित किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
2. रेस्पोंडेन्टकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 11.03.2019

अपीलान्ट चन्द्राराम पुत्र श्री रामूराम जाति मेघवाल निवासी तिंवरी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोंडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, तिंवरी द्वारा दिनांक 31.05.2016 का प्रकरण संख्या 19/2015 बअनवान सरकार बनाम चन्द्राराम वगैरह में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार बावड़ी द्वारा पटवारी की एकतरफा एवं मनमानी रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया गया है जबकि अपीलार्थी का खसरा नम्बर 269 रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया गया कि मौके की सही रिपोर्ट मंगवाकर मुटाम कायम किये जावे। पटवारी द्वारा मौके पर कोई नाप नहीं कर तथा अपीलार्थी को बुलाये बगैर पटवारघर में बैठकर खसरा नम्बर 264 के खातेदारों एवं खरीददारों के कहे अनुसार रिपोर्ट बनाकर पत्रावली में डाल दी क्योंकि वास्तव में रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 264 के खातेदारों एवं खरीददारों के कब्जे में है जो मौके

के हालात से ही स्पष्ट है। खसरा नम्बर 264 की भूमि में से सड़क निकलने से इस खसरे के दो टुकड़े हो गये तथा सड़क के पूर्वी तरफ कुछ भाग खसरा नम्बर 264 का बच गया इस भाग का बेचान खसरा नम्बर 264 के खातेदारों ने भूखण्डों के रूप में करते समय खसरा नम्बर 269 जो कि नक्शे में रास्ता दिखाया हुआ था परन्तु मौके पर कोई रास्ता नहीं था उस भाग को भी बेचाननामों में सम्मिलित कर लिया परन्तु पटवारी हल्का की मिलीभगत से उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिनका की खसरा नम्बर 269 की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 291 मौके पर आज दिन भी मांठ से गिरी हुई है तथा इस खसरे के खातेदारान का मौके पर उतने ही भाग पर कब्जा है जितना रकबा जमाबन्दी में दर्ज है। अदालत चाहे तो इस बारे में पुनः खुलासा रिपोर्ट तलब कर एवं पैमाईस करवाकर पैमाईस रिपोर्ट मंगवा सकती है ताकि सही तथ्य पत्रावली पर आ सके। अपीलार्थी गरीब काश्तकार है उन्हें अनावश्यक मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को उसी रूप में स्वयं साबित होना मानकर फैसला कर दिया जबकि इस बारे में शहादत दर्ज की जानी चाहिये थी एवं अपीलार्थी को पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। तहसीलदार तिंवरी ने भी यह विचार नहीं किया कि उक्त रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार की गई है अथवा नहीं। तहसीलदार की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरणों का निस्तारण बताने के उद्देश्य से जल्दबाजी में फैसला कर दिया। पटवारी ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश की है जबकि वास्तव में रास्ते की भूमि पर खसरा नम्बर 264 के क्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया जो कि सभी पैसे वाले व्यक्ति होने से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर इसके विपरित जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जो मौके के हालात से ही स्पष्ट है। खसरा नम्बर 291 के सह खातेदारान के बीच जब भूमि का विभाजन हुआ तब स्वयं पटवारी ने मौके पर पैमाईस कर मुटाम कायम किये जो आज भी मौके पर कायम है इसके बावजूद भी पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश कर अपीलार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में घसीटा है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2016 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, तिंवरी से मूल रेकॉर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्टस स्वीकार कर

तहसीलदार तिंवरी द्वारा दिनांक 31.05.2016 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 269 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में अपीलान्ट द्वारा रकबा 0.13 बीघा भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का तिंवरी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तिंवरी द्वारा ग्राम तिंवरी के खसरा नम्बर 269 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में रकबा 0.13 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जबकि अपीलान्ट ने अपनी अपील में खसरा नम्बर 264 के खातेदारों व खरीददारों का उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए हम यह उचित समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति से पूर्व विवादित खसरा नम्बर 269 व 264 में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होने से उक्त खसरों का सही नापजोख व सीमांकन करने के पश्चात् यदि अपीलान्ट का गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो तहसीलदार तिंवरी को अपीलाधीन आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार तिंवरी को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

जोधपुर